

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प साधिया

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आरटी एक्ट के अनुसरण में ग्राम साधिया पंचायत में साधिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-78 में खाता सख्या 19 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र स | ग्राम / पंचायत | खाता सख्या / खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|-------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | साधिया | खसरा सख्या - 19 | बनवारी लाल पुश गेगावाल | बनारसी लाल पुश गेगावाल मिस्त्री भी न्यायालय का स्वगत आदेश कहे ली जायेंगे |

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 07.12.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 493
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

न्यायालय जो इस के
अधिकारी को जारी है
दांतारामगढ़ में जारी है